रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 199] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 1970/अग्रहायण 2, 1892
No. 199] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 1970/AGRAHAYANA 2, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November 1970

G.S.R. 1930.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (a) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and sub-rule (1) of rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, the Central Government hereby re-appoints Shri Shah Nawaz Khan as the Chairman of the Board of Directors of the Food Corporation of India, with effect from the 2nd December, 1970.

[No. F. 4-1/66-FCC.]

R. BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1970

सा० का० नि० 1930.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के साथ पठित उपधारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 3 के उपनियम (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री शाहनवाज खां को भारतीय खाद्य निगम के निदेशक-बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 2 दिसम्बर, 1970 से पुनः नियुक्त करती है।

[सं० फा० 4-1/66-एफ सी सी]

रा० बालसुब्रह्मण्यन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970